क्रम संख्या–17

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 जनवरी, 2005 ई0
माघ 11, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 421/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 31 जनवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 28–01–2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 10, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 10, सन् 2005)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973), (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तरांचल राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने के लिए

अधिनियम

[भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नवत् रूप में यह अधिनियमित हो,]

संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ एवं विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ङ) का प्रतिस्थापन

2–उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा–

"ङ (I) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(1) महाविद्यालय की शासी निकाय का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति, चयन समिति का अध्यक्ष होगा;

(2) सम्बन्धित महाविद्यालय का प्राचार्य;

(3) एक वरिष्ठ प्राध्यापक / विभागाध्यक्ष (विषय से सम्बन्धित) जिसे प्रवक्ता के रूप में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो;

(4) सम्बन्धित विश्वविद्यालय जिससे महाविद्यालय सम्बद्ध हो, के कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य, जिसमें से एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिए; तथा

(5) सम्बन्धित महाविद्यालय की शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा कुलपति से अनुमोदित पैनल की सूची में से नामित दो सदस्य, जिनमें से एक विषय विशेषज्ञ उस महाविद्यालय से सम्बन्धित न हो।

परन्तु यह कि चयन समिति की बैठक के लिए पांच सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति समझी जायेगी, और जिसमें तीन विषय विशेषज्ञों में से न्यूनतम दो की उपस्थिति अनिवार्य होगी।"

"ङ (II) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) में प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(1) शासी निकाय का अध्यक्ष; अध्यक्ष

(2) शासी निकाय का एक सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा;

(3) कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य, जिसमें से एक विशेषज्ञ होना चाहिए;

(4) कुलपित द्वारा अनुमोदित पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकया द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ, जो कि महाविद्यालय का प्राचार्य, विश्वविद्यालय का आचार्य तथा आचार्य से अन्यून पंक्ति का एक प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे।

परन्तु कम से कम चार सदस्यों से, जिनमें दो विषय विशेषज्ञ सम्मिलित हों, गणपूर्ति होगी"।

आज्ञा से,
आई0 जे0 मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

No. 421/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, January 31, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Second Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 10 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 28-11-2005.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES ACT, 1973) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2001) (SECOND AMENDMENT) ACT, 2005

(UTTARANCHAL ACT NO. 10 OF 2005)

Further to amend The Uttaranchal (The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001) in the context of Uttaranchal State.

AN

ACT

Be it enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India is follows :--

Short title, Commencement and Extent

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal (The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Second Amendment) Act, 2005.

(2) It shall come into force at once.

(3) It extends to the whole State of Uttaranchal.

Substitution of Clause (e) Sub-section (4) of Section 31 of the Principal Act

2. Clause (e) of sub-section (4) of section 31 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001) Act, 2003) (hereinafter referred to as 'Principal Act') shall be substituted as follows :--

"e (i) Selection Committee for the appointment of Lecturers in affiliated or associated College (other than a college maintained exclusively by the State Government or by a Local Authority) shall consist of--

(1) Chairperson of the Governing Body of the College or his/her nominee shall be the Chairperson of the Selection Committee;

(2) The Principal of the concerned College;

(3) One senior teacher/Head of the Department (of the subject concerned) having at least ten years experience as lecturer;

(4) Two nominees of the Vice-Chancellor of the affiliating University of whom one should be subject expert;

(5) Two members one of whom is subject expert not of the college to be nominated by the Chairperson of the governing body of the college concerned out of a panel of names approved by the Vice-Chancellor, provided that for the meeting of the Selection Committee presence of five members shall be deemed quorum and the presence of at least two members out of the three subject experts shall be compulsory".

"e (ii) Selection Committee for the appointment of Principal in affiliated or associated College (other than a college maintained exclusively by the State Government or by a Local Authority) shall consist of--

(1) Chairperson of the Governing Board as chairperson;

(2) One member of the Governing Board shall be nominated by the Chairperson;

(3) Two Vice-Chancellor's nominees, out of whom one should be an expert;

(4) Three experts nominated by the Governing Body of the college out of the panel approved by the Vice-Chancellor which is principal of the college, a professor of the university and renowned educationist not below the rank of a professor.

Provided that at least four members, including two subject experts, shall constitute the quorum".

By Order,

I. J. MALHOTRA,

Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 10 विधायी/34–2005–85+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।